

न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा
भूमि विक्री अनुमति वाद सं०-160/2022
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत
श्री रामचन्द्र राम एवं अन्य—विक्रेता

प्रति

श्रीमती सुनैना देवी—क्रेता

—:आदेश:—

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक/विक्रेता 1. श्री रामचन्द्र राम, पिता—स्व० सीता राम, 2. श्री एस० कुमार राम, पिता—नन्दु राम, दोनों ग्राम—नारायणपुर, पोस्ट—सोह, थाना—गढ़वा, जिला—गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्रीमती सुनैना देवी, पति श्री भगवान दास राम, पिता—सीता राम, ग्राम—मंगरदह, पोस्ट—नगर उँटारी, थाना—नगर उँटारी, जिला—गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, गढ़वा से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। उप समाहर्ता भूमि सुधार, गढ़वा के पत्रांक 143/दिनांक 14.03.2023 के द्वारा अंचल अधिकारी, गढ़वा का जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार के तामिला प्रतिवेदन के साथ प्राप्त हुआ, एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।


प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेतागण के बाबा एवं अन्य के नाम से मांग चलता है। विक्रेतागण जाति के चमार (अनुसूचित जाति) एवं क्रेता जाति के चमार (अनुसूचित जाति) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक/विक्रेता के शांतिपूर्ण दखल—कब्जे में हैं। यह भूमि भूदान, भू—हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।


अतः उप समाहर्ता भूमि सुधार, गढ़वा एवं अंचल अधिकारी, गढ़वा के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदक/विक्रेता 1. श्री रामचन्द्र राम, पिता—स्व० सीता राम, 2. श्री एस० कुमार राम, पिता—नन्दु राम, दोनों ग्राम—नारायणपुर, पोस्ट—सोह, थाना—गढ़वा, जिला—गढ़वा ने क्रेता श्रीमती सुनैना देवी, पति श्री भगवान दास राम, पिता—सीता राम, ग्राम—मंगरदह, पोस्ट—नगर उँटारी, थाना—नगर उँटारी, जिला—गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरण:—

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहद्दी
नारायणपुर	348	विक्रेता सं०-01			
		26	03	0.04	उ०—सुरेन्द्र पाल, द०—गोपाल राम, पू०—रास्ता, प०—सुरेन्द्र पाल,
		विक्रेता सं०-02			
		26	03	0.07	उ०—नीज विक्रेता, द०—रामप्रवेश राम, पू०—नीज विक्रेता, प०—रास्ता,
कुल रकबा:—				0.11	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।
लेखापित एवं संशोधित।


22/03/23
अपर समाहर्ता,
गढ़वा।


22/03/23
अपर समाहर्ता,
गढ़वा।